न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री अशोक कुमार त्यागी **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 175/2019 निर्णय दिनांक :– 19.09.19

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. लादू पुत्र जग्गा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. गोपाल पुत्र बरदा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. श्योजी पुत्र बरदा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. छोटू पुत्र बरदा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. देवालाल पुत्र बरदा जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. मेवा पुत्र रोडू जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. छीतर पुत्र भागुता जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. देवी पुत्र भागुता जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. फूमा पुत्री भागुता जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. बालू पुत्र सोदान जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. कालू पुत्र जाति गुर्जर निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. जमनी पुत्री जग्गा पत्नि बैजनाथ जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. बरजी पुत्री जमना जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. लाला पुत्र हरनाथ जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
10. बजरंगा पुत्र हरनाथ जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
11. कान्हा पुत्र हरनाथ जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
12. बद्री पुत्र रूघनाथ जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
13. कैलाश पुत्र रूघनाथ जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
14. विमला पुत्री गोपाल जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
15. मन्ना पत्नि गोपाल जाति धाकड निवासी तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

उपस्थितिः–
श्री आर. एन. तुनगाररिया
अधिवक्ता प्रार्थीगण

तहसीलदार देवली
अप्रार्थी संख्या 1
श्री राजेश जैन
अप्रार्थी संख्या 2 ता 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए रा0अ0 अधिनियम

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 15 की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी खसरा नम्बर 1217 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 1222 रकबा 0.05 हे0, खसरा नम्बर 1223 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 1224 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.14 है0 कुल किता 5 कुल

रकबा 0.60 है0 वाके ग्राम तितरिया पटवार हल्का तितरिया तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है प्रार्थीगण की उक्त आराजीयात भूमि पर काश्त करने व आने जाने के लिए हमारे पास कोई वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ता नही है इसलिए प्रार्थीगण को भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते की सख्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 15 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1225 रकबा 0.14 है0 एवं गै0मु0 रास्ता खसरा नम्बर 1247 के मध्य अप्रार्थी नम्बर 01 की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1226 रकबा 0.15 है, खसरा नम्बर 1227 रकबा 0.15 हे0 तथा अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1228 रकबा 0.80 हे0 पर अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 काबिज काश्त है तथा अप्रार्थी नम्बर लैण्ड होल्डर के नाम राजकीय सिवायचक भूमि खसरा नम्बर क्रमशः 1226, 1227 है जिसमे उत्तरी दिशा की तरफ करीब 20 फीट चौडा रास्ते से जो पूर्व से पश्चिम से होकर प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 5 ता 15 अपनी खातेदारी की भूमि पर काश्त हेतु आते जाते रहे है और आज दिन तक आ जा रहे है। उक्त खसरा नम्बर क्रमशः 1226, 1227 व 1228 में प्रार्थीगण को नया रास्ता/मार्ग उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक तथा सुलभ है एवं उक्त भूमि से रास्ता दिए जाने पर सबसे कम दूरी पडती है। प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आने जाने के लिए खसरा नम्बर 1228 पर अप्रार्थीगण नम्बर 2 ता 4 काबिज काश्त होने से आने जाने से रोकते है तथा खसरा नम्बर 1226, 1227 कर भूमि राजस्थान सरकार के खातेद? दर्ज होने व अप्रार्थी नम्बर 1 ने कहा की नया रास्ता लेने हेतु विधिवत् प्रार्थना पत्र सक्षम न्यायालय मे पेश करे। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी नम्बर 2 व 4 को उक्त रास्ता चाहने बाबत् पारस्परिक सहमति से कहा परन्तु अप्रार्थी नम्बर 1 सहमत नही हुआ तथा प्रार्थीगण को रास्ता/नया मार्ग उपलब्ध कराये जाने से रास्ते मे आने वाली भूमि की डी.एल.सी. रेट के हिसाब से कीमत अदा करने के लिए तैयार है। प्रार्थीगण खातेदारी जमाबंदी में सहखातेदार राधाकिशन की नाऔलाद हो चुकी है तथा खातेदार राजी की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस जमाबंदी रिकार्ड में दर्ज है तथा गोपाल पुत्र जग्गा की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान फोरमल पक्षकार अप्रार्थीगण नम्बर 14 व 15 है व खातेदार हरनाथ पुत्र भूवाना की मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिसान फोरमल पक्षकार प्रतिवादी नम्बर 9 ता 11 है तथा खातेदार रूघनाथ पुत्र भूवाना की मृत्यु हो चुकी है। जिसके वारिसान फोरमल पक्षकार अप्रार्थीगण नम्बर 12 व 13 है तथा प्रार्थना पत्र अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 15 को फोरमल पक्षकार बनाया गया है जिसके प्रार्थीगण कोई अनुताष नही चाहिए। प्रार्थीगण के सहखातेदार होने से फोरमल पक्षकार अप्रार्थीगण नम्बर 5 ता 15 को बनाया गया है।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 4 ता 15 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अप्रार्थी संख्या 2 ता 3 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश जैन ने वकालतनामा पेश कर जवाब पेश किया जिसके अनुसार चरण नं. 1 स्वीकार किया है और बताया है कि इस चरण में वर्णित आराजी कुल किता–5 कुल रकबा 0.60 है0 के स्वामी व खातेदार प्रार्थीगण एवं अप्राथीगण 5 ता 15 है इसके अतिरिक्त भरी अन्य खातूदार है जिनका पक्षकार नहीं बनाया गया है इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। चरण नं. 2 पूर्णतया गलत है, स्वीकार नही है। चरण नं. 3 गलत है, स्वीकार नही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 5 ता 15 कभी भी ख. नं. 1226, 1227, 1228 की तरफ से अपने खेतो में आते जाते नही है। तथा वहां कोई रास्ता पहले भी नहीं था तथा वर्तमान में भी कोई रास्ता नहीं है। चरण नं. 4 गलत है, स्वीकार नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण ने सिवायचक भूमि ख. नं. 1226, 1227 को अपने खेतो में मिला रखा है तथा इस भूमि पर केवल मात्र प्रार्थीगण ही काश्त करते है। हइदस भूमि से अप्रार्थीगण 5 ता 15 को कोई संम्बन्ध नहीं है। चरण नं. 5 गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता नही है। चरण नं. 7 जिस तरह से लिखा गया है गलत है, स्वीकार नही है। वर्तमान में जितने पक्षकार प्रार्थीगण ने बनाये है उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड मं कोई भूमि नही है। इसके अतिरिक्त जिनकी मृत्यु हानेा प्रार्थीगण वर्णित करते हैउनके वारिसान में पत्नी व लड़कियो को पक्षकार नही बनाया गया है इस कारण से भी प्राथना पत्र खारिज किये जाने येाग्य है। इसी चरण में प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण 5 ता 15 प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित भूमि के

खातेदार बताये गये है। अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है तो फिर इनको वर्तमान में रास्ता नही चाहिय था ऐसी प्राथ्रना अप्राथ्रीगण 5 ता 15 की ओर से नही की गई है यदि इनको भी प्रार्थना पत्र के चरण नम्बर 1 में वर्णित भूमि में आने जाने में परेशानी होती तो यह भी निश्चित रूप से अपनी भूमि में आने जाने के लिये रास्ता चाहते है तथा प्राथ्रना पत्र पेश करते बिजससे स्पष्ट है कि मौके पर प्रार्थीगण के अलावा अन्य खातेदार अप्रार्थीगण 5 ता 15 को रास्ते की आवश्यकता नही है। यदि अप्राथीग्रण 5 ता 15 को अपने खेतों में जाने के लिये नये रास्ते की आवश्यकता नही है तो फिर प्रार्थीगण भी जिस रास्ते से अप्रार्थीगण 5 ता 15 आ–जा रहे है उसी रास्ते से आ–जा सकते है तथा वर्तमानल में उसी रास्ते से आ–जा रहे है। विशेष आपतियों में बताया कि प्रार्थीगण ने मृतक सोदान, हरनाथ व रूधनथ के जायज वारिसान को पक्षकार नही बनाया है तथा जिन खातेदार के नाम जमीन है उनकी तरफ से प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है इस कारण से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। ख. नं. 1214 व ख. नं. 1215 अप्रार्थीगण 5 ता 15 व उनकेक वारिसान के नाम रास्व रिकॉर्ड में अंकित है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 5 ता 15 व अन्य वारिसान सीट मं वर्णित ख. नं. 1214 व 1215 व 1218 की मेर पर से होकर अपने खेतो में आ जा रहे है, तो फिर उसे नया रास्ता कानूनन नही दिया जा सकता। अतः जवाब प्राथ्रना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। ग्राम तितरिया के आ0खसरा नम्बर 1228 रकबा 0.14 है0 भूमि का मौका निरीक्षण इस प्रकार है। प्रार्थी को अपनी भूमि पर जाने के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि पर जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रस्तावित रास्ते के खसरा नम्बर 1228 लम्बाई 26 व चौडाई 4 मीटर कुल 144 मीटर व खसरा नम्बर 1227 में से लम्बाई 40 मीटर व चौडाई 4 मीटर = 80 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 1226 में से लम्बाई 20 मीटर व चौडाई 4 मीटर सिवायचक भूमि में से कुल 304 वर्गमीटर की आवश्यकता होगी। रास्ता चाहने वाली कृषि भूमि की डी0एल0सी0 दर 2340/– रू0 प्रति ऐयर है, दुगुनी दर से प्रतिकर राशि 14.052/ रू0 होगी। आवेदक की भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी ख. नं. 1228, 1227, व 1226 में से रास्ता चाहता है जिसको लाल स्याही प्रस्तावित किया हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के मध्या कोई संरचना, पेड़, दीवार नही है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता देने के लिए सहमत नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रतिबंधित श्रेणी मे नहीं है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 की ओर से कोई आपति नहीं है इसलिए इनको औपचारिक पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण हमेशा से ही ख. नं. 1225, 1226 व 1228 से ही अपनी आराजी में आ जा रहे है और कोई अन्य रास्ता नहीं है। अत ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अपने खेत में पहुंचने के लिए रास्ता दिया जाना आवश्यक है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 ने अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण 5 ता 15 सहखातेदार है और अन्य कोई रास्ता नहीं होता है तो अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 भी प्रार्थीगण के साथ पक्षकार बनते। जब इनको कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है तो फिर प्रार्थीगण को भी रास्ते की आवश्यकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थीगण ने ख. नं. 1226, 1227 को अपने खेतो के साथ मिला रखा जिससे अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 को कोई सरोकार नहीं है। इसके अलावा जिनकी मृत्यु हो चुकी ही उनके वारिसान में पत्नी व लड़कियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। और मृतक सोदान, हरनाथ व रूघनाथ के जायज वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया है। वास्तव में प्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक नही है। वास्तविकता में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ख. नं. 1214, 1215 व 1218 की मेंर पर से होकर आराम से अपनी आराजी में काश्त करने हेतु आते जाते रहे है ओर वर्तमान में भी आ जा रहे है। अतः प्रार्थीगण को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है । ऐसी स्थिति मे रास्ता दिया जाना न्यायसंगत नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के खातेदार प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थीगण संख्या 5 ता 15 भी है, जिन्होने रास्ते हेतु कोई प्रार्थना प्रार्थीगण के साथ नहीं की है। ख. नं. 1214 व 1215 अप्रार्थी संख्या 5 ता 15 व उनके वारिसान के नाम राजस्व रिकॉर्ड में है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 1214 व 1215 के पूर्व में आम रास्ते से ख. नं. 1214, 1215 व 1215 की मैर से होकर पूर्व में आ जा रहे है तो वर्तमान में भी पूर्व रास्ते से ही अपनी जोत में आया जा सकता है। अतः धारा 251 ए के प्रावधानो को सिद्ध नहीं करने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 19.09.2019 को सुनाया गया।

.9

उपखण्ड अधिकारी
देवली